

बाल संरक्षण इकाई
महिला एवं बाल विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
1, पंडित रवि शंकर शुक्ला लेन, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001

F.No.61 (1273)/Vidhan Sabha 191/DD(CPU)/DWCD/2019/

Dated

4/11/03-042 5 FEB 2019


विषय:- विधान सभा अता. प्रश्न संख्या 191

प्रश्नकर्ता का नाम - श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
विभाग का नाम - महिला एवं बाल विकास विभाग

क्या माननीय उप मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

प्रश्न	उत्तर
क) सरकार द्वारा दिल्ली में महिलाओं व किशोरियों के लिए चल रहे आश्रय गृहों के लिए स्पेशल टाक्स फोर्स (एसटीएफ) का गठन न करने के क्या कारण हैं ?	(क) महिलाओं एवं किशोरियों की संस्थानों से सम्बंधित अधिनियमों में स्पेशल टास्क फोर्स का प्रावधान नहीं है।
ख) इन आश्रय गृहों से अक्सर महिलाओं व किशोरियों के लापता होने की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की क्या योजना है;	(ख) हाल में हुई घटनाओं के चलते आश्रय गृहों में सुरक्षा गार्ड की सशक्त तैनाती की गई है। आश्रय गृहों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
ग व घ) क्या सरकार ने इन आश्रय गृहों के कुप्रबंधन तथा महिलाओं और किशोरियों के साथ किये जा रहे दुराचार की घटनाओं की कोई जांच करवाई है; और यदि हाँ, तो उसकी रिपोर्ट का विस्तृत विवरण क्या है ?	ग व घ) जी हा, हाल ही में गैर सरकारी संस्था सीएफआई में अप्रिय घटना घटित हुई थी। जिसके लिए विभाग ने बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार सारे बच्चों को बालिका गृह निर्मल छाया में स्थानांतरण किया है।


उपरोक्त उत्तर की स्वीकृति निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्राप्त है।



उपनिदेशक
(बाल संरक्षण इकाई)

Copy to:-

PA to Director, Department of Women & Child Development Govt. of NCT of Delhi, 1-A, Canning lane K.G. Marg New Delhi.



उपनिदेशक
(बाल संरक्षण इकाई)